प्रशासन शहरों के संग अभियान अंतर्गत एडीए ने 90 पट्टे बांटे

सचिव किशोर कुमार ने शिविर में पट्टा वितरित किये।

- बोराज काजीपुरा में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया तथा पट्टा आवेदन की प्रक्रिया समझी

अजमेर, (कासं)। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा लगाए गए शिविरों में शनिवार को 90 पट्टे वितरित किए गए।

अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव किशोर कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा आमजन को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान में विभिन्न छूटे तथा रियायते प्रदान की जा रही है। अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार से सम्पर्क कर आवेदन लिए जा रहे है। इन आवेदनों के अनुसार पात्र व्यक्तियों के कार्य किए जा रहे है। क्षेत्र में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त करने तथा पट्टे वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। अजमेर उत्तर जोन का शिविर बोराज काजीपुरा के विद्यालय में तथा दक्षिण जोन का शिविर अन्ध विद्यालय में आयोजित हुआ।

इन शिविरों का निरीक्षण शनिवार को किया गया। इन शिविरों में शनिवार को 90 पट्टे वितरित किए गए। बोराज काजीपुरा के शिविर में स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। निवासियों को पट्टा आवेदन की प्रक्रिया समझाई गई। मौके पर 200 व्यक्तियों ने नियमन के लिए आवेदन किया। इसी प्रकार अन्ध विद्यालय के शिविर में भी स्थानीय निवासियों ने जोश के साथ भाग लिया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान शिविर में उपस्थित नागरिकों से चर्चा की गई। विभिन्न कार्यों के निस्तारण में आ रही समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। आमजन को लाभान्वित करने के लिए अधिकाधिक पट्टे जारी करने के लिए कहा। अभियान में पट्टे के लिए आवेदित प्रत्येक फाईल पर नियमानुसार कार्यवाही हो। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान ही मौका निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर डिमाण्ड नोट जारी किया जाए। साथ ही अभियान अवधि में पट्टा जारी कर आमजन तक सरकार द्वारा प्रदत्त छूटों का लाभ पहुंचाया जाए।

पुत्री ने पिता पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया

पुष्कर, (निसं)। पुष्कर थाना क्षेत्र में कलयुगी पिता पर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने अपने रिश्तेदार के सहयोग से पुलिस में आपबीती की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के साथ आखरी बार 1 अगस्त को पिता ने दुष्कर्म किया। पीड़िता 19 वर्ष की बताई जा रही है। पीड़िता के साथ करीब दो तीन सालों पहले भी पिता और उसके दोस्त ने शराब के नशे में दुष्कर्म किया था। इस कारण पीड़िता गर्भवती हो गई थी, जिसका सारा आरोप उसके माता पिता समेत अन्य रिस्तेदारों ने पीड़िता पर मढ दिया था और पीड़िता का बच्चा भी गिरा दिया था। पीड़िता 4 अगस्त को पुष्कर थाने में पेश होकर अपने साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुष्कर पुलिस ने पीड़िता के पिता ओर उसकी माता बहन, पिता के दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में पोक्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पुलिस उपाधीक्षक इस्माल खान को सौंप दी है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुष्कर थाना अधिकारी ने बताया कि समीपवर्ती गांव की एक 19 वर्षीय युवती ने अपने पिता व दोस्त पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है इसकी जांच ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक इस्माइल खान कर रहे हैं।

मन को वश में करने के लिए मन पर अनुशासन जरूरी है : आचार्य अभय मुनि

आसींद, (निसं)। संसार में सभी मनुष्य अपना हित चाहते है, सभी का हित चाहने वाले कुछ मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों से ही सुख और दुख प्राप्त होता है। जिस मनुष्य का मनोबल मजबूत होता है वह किसी के सामने झुकता नहीं है। जब तक मन पर अनुशासन नहीं होता है तो मन को वश में नहीं किया जा सकता है और वह व्यक्ति तपस्या भी नहीं कर सकता है। तपस्या करना कठिन काम है। उक्त विचार महावीर भवन में विराजित आचार्य अभय मुनि महाराज ने धर्मसभा में व्यक्त किए।

आचार्य प्रवर ने कहा कि जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है वह जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। सहनशीलता का गुण हर मनुष्य में नहीं होता है। मनुष्य को मनुष्य की सेवा करनी चाहिए कर्मों की गति बहुत गहन होती हैं कोई किसी को सुखी या दुखी नहीं बना सकता है। नाजायज तरीके से धन संग्रह करने वाले को आने वाले भविष्य में प्रकृति उसे कभी क्षमा नहीं करेगी, किए हुए कार्य का उसे फल भोगना ही पड़ेगा। संकट के समय ही त्याग और तप की अहमियत मालूम पड़ती है, संकट के समय धैर्य रखने वाला ही वीर कहलाता है. स्वरूप मुनि ने कहा कि दान में सर्वश्रेष्ठ दान सुपात्र दान है। दान सदेव गुप्त देवे उससे कई गुना दान देने वाले को लाभ मिलता है। भूपेंद्र मुनि ने प्रार्थना का वाचन किया। आचार्य प्रवर के सानिध्य में 12 अगस्त से 14 अगस्त तक तेले तप का आयोजन किया जायेगा। धर्मसभा में वरिष्ठ श्रावक पारस मल पीपाड़ा, पीर चंद सिंघवी,कमलेश कूकड़ा, पदम कुमार कांठेड़ , पूरण मल चौधरी आदि श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थे।

एबीवीपी हेल्प डेस्क द्वारा विद्यार्थियों की मदद कर रही है

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में हेल्प डेस्क लगाकर नए आगंतुक विद्यार्थियों का स्वागत व सहायता कर रही है।

अजमेर, (कासं)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में हेल्प डेस्क लगाकर नए आगंतुक विद्यार्थियों का स्वागत व सहायता कर रही है। महाविद्यालय में सभी संकायों की हार्ड कॉपी जमा कराने का सिलसिला जारी है।

विद्यार्थियों को परेशानी ना हो, इसलिए एबीबीपी के कार्यकर्ता विद्यार्थियों की मदद कर रहे है व कैम्पस के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले हेल्पडेस्क लगाने से पहले कॉलेज के शिक्षकों से सेल टैक्स लगाने को लेकर बहस भी हुई। हेल्प डेस्क लगाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण एबीपी कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थी को देखते हुए जबरदस्ती हेल्पडेस्क लगाई और छात्र-छात्राओं की मदद की। इस दौरान शिक्षकों से बहस भी हुई और अंततः महाविद्यालय को अनुमति देनी पड़ी।

महानगर मंत्री विकास गोरा ने बताया कि अपने कार्य के द्वारा एबीवीपी विद्यार्थियों तक पहुंचने का कार्य करेगी और विद्यार्थियों की हर संभव मदद करते हुए कैंपस में जीत दर्ज करेगी और कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन अनुशासन के नाम पर अनावश्यक रूप से विद्यार्थियों को परेशान कर रहा है और छात्र संगठनों को हेल्प डैस्क लगाने से भी मना कर रहा है। इस बात पर कॉलेज प्रशासन में पीडीपी कार्यकर्ताओं में बहस भी हुई परंतु विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं विद्यार्थियों के हित के लिए किसी भी प्रकार की स्थिति से लड़ने के लिए तत्पर है। इकाई अध्यक्ष आकाश सिंह राजावत ने बताया कि खेल परिसर व नेहरू भवन में हेल्पडेस्क लगाकर कार्यकर्ता विद्यार्थियों के दस्तावेज जमा कराने व अन्य परेशानियों का समाधान कर कर रहे हैं। विद्यार्थियों को एबीवीपी की विचारधारा से जोड़ रहे हैं। इस दौरान भावना, भारती, लताशा, वीरेंद्र, अरुण, महेन्द्र व सुनिल उडद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विद्यार्थी सम्मान समारोह आज

अजमेर, (कासं)। स्वामी हिरदाराम जी के प्रेरणा से सांई बाबा मन्दिर ट्रस्ट, स्वामी ग्रुप एवं पंडित आत्माराम व्यास जन्म शताब्दी समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान से रविवार सुबह 11 बजे रसोई बैंकूवेट हॉल, स्वामी कॉम्प्लेक्स में 32वां प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कंवल प्रकाश ने बताया कि जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रमें विद्याथिर्यो को सम्मान के व्यक्तित्व विकास पर सेमिनार भी आयोजित किया गया है। जिसमें वक्ता सुनील दत्त जैन, गिरधर तेजवानी, विनीत लोहिया, रामचन्द गुलाबानी व दिशा किशनानी विद्याथिर्यो को अनुभवों से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश तेजवानी द्वारा किया जाएगा।

खाद्य लाइसेंस शिविर में 85 रजिस्ट्रेशन जारी

खाद्य लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए कृषि मंडी परिसर नागौर में शिविर लगाया गया।

नागौर, (निसं)। खाद्य लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए शनिवार को कृषि मंडी परिसर नागौर में शिविर लगाया गया।

नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया के निर्देशानुसार व अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया के मार्गदर्शन में लगाए गए इस शिविर में नागौर के व्यापारियों व खाद्य कारोबारियों का मौके पर ही शिविर में रजिस्ट्रेशन किया गया। शिविर में 156 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें 71 लाइसेंस व 85 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए। सभी 85 रजिस्ट्रेशन मौके पर ही जारी किए गए। इस दौरान व्यापार संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महेश वर्मा ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील कुमार की ओर से जारी दिशा-निर्देशानुसार नागौर के आसपास के जुडे खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर लगाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड ने बताया कि सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों ने शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनवाया। उन्होंने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नओवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2000 से 3000 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। शिविर में कृषि व्यापार संघ के अध्यक्ष मूलचंद भाटी, किराना मर्चेंट नागौर के अध्यक्ष धर्माराम भाटी व सरंक्षक अर्जुन अरोडा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मोहित तंवर, अशोक चौधरी संतोष जोशी आदि ने सेवाएं दी।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के ग्राम थोक तेलियान, खसरा संख्या 871 का पट्टा श्रीमती राधा देवी चौधरी आवंटित किया गया, जिसका पट्टा क्रमांक 2511, दिनांक 1.1.2013 को जारी किया गया था। मूल आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड के बेचान जरिये पंजीकृत किया गया था मूल आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड के बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती इशिका नानकानी पत्नी श्री मनोज नानकानी को कर दिया है।

मूल पट्टे की गुमशुदी की रिपोर्ट 17.7.2021 को करा दी गई है। रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है, मूल पट्टा गुम हो गया है। अतः थोक तेलियान खसरा नं. 871 के भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा श्रीमती इशिका नानकानी पत्नी श्री मनोज नानकानी के पक्ष में किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। उक्त नियत अवधि के पश्चात् आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, फ्री होल्ड पट्टा कर दिया जाएगा।

योजना प्रभारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति के मूल दस्तावेज गुम हो जाने पर फ्री होल्ड पटटा जारी करने के क्रम में आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के ग्राम बोराज में खसरा संख्या 940 की रजिस्ट्री/बेचाननामा/वसीयतनामा क्रम संख्या 2007000125 दिनांक 11/10/2007 को 1. श्री राजकुमार जैन 2. श्री अनिल कुमार जैन अजमेर निवासी के पक्ष की गई थी, उन्होंने यह भूखंड श्रीमती तारामणि शर्मा को बेच दिया था। श्रीमती तारामणि शर्मा पत्नी श्री सुरेश चन्द शर्मा द्वारा मूल रजिस्ट्री खो गई थी, जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट नंबर एल.आर.नंबर 1525389/2022 दिनांक 2/8/2022 पुलिस में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी और श्रीमती तारामणि शर्मा द्वारा सत्यापित विक्रय पत्र के आधार पर फ्री होल्ड पट्टा के लिए आवेदन किया है। अतः खसरा संख 940 क्षेत्रफल 212.66 वर्गगज ग्राम बोराज का फ्री होल्ड पटटा श्रीमती तारामणि के पक्ष में जारी किए जाने से किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देंवे। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी एवं श्रीमती तारामणि शर्मा के पक्ष में फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जाएगा।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आवंटी/अन्तरिति के मूल दस्तावेज गुम हो जाने पर फ्री होल्ड पटटा जारी करने के क्रम में आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की योजना ज्वाला प्रसाद नगर के आवास संख्या 372 (EWS) श्री किशनचन्द पुत्र श्री धर्मदास को आवंटित किया गया था। श्री किशनचन्द पुत्र श्री धर्मदास द्वारा उक्त आवास का एक मुख्यार आम दिनांक 22.06.1989 श्रीमति कविता पत्नि श्री सुन्दरदास के हक में निष्पादित किया। उक्त मुख्यार आम के आधार इस कार्यालय द्वारा दिनांक 16.10.2009 को श्री किशनचन्द पुत्र श्री धर्मदास जरिये मुख्यार आम श्रीमति कविता पत्नि श्री सुन्दरदास के हक मे लीज डीड निष्पादित कर जारी की गई। श्रीमति कविता पत्नि श्री सुन्दरदास ने मुख्यारआम की हैसियत से उक्त आवास दिनांक 18/12.2009 को स्वयं को विक्रय पत्र कर दिया। श्रीमति कविता पत्नि श्री सुन्दरदास द्वारा प्रस्तत शपथ पत्र एवं गुमशदगी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मूल आवंटी से सम्बन्धित लिंक दस्तावेज, लीजडीड, विक्रय पत्र गम हो गई है। अतः आवास संख्या 372 योजना ज्वाला प्रसाद नगर का फ्री होल्ड पट्टा श्रीमती कविता पत्नि श्री सुन्दरदास के पक्ष में जारी किए जाने में किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के भीतर अपत्ति प्रस्तुत कर देवें। उक्त नियत अवधि पश्चात आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जायेगा।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला-अजमेर (राज.

क्रमांक/नपकि/PWC/2022/1384 दिनांक : 6.8.2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मनीष जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन, द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज, भूखण्ड सं. बी-19, क्षेत्रफल 280.08 वर्गगज, खसरा सं...' लक्ष्मीनारायण विहार कॉलोनी अजमेर रोड ' मदनगंज किशनगढ पर व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया है।

पूर्व में : भूखण्ड संख्या बी-7
पश्चिम में : 30 मीटर आम रास्ता
उत्तर में : भूखण्ड संख्या बी-20
दक्षिण में : भूखण्ड संख्या बी-18

अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ

एक दिवसीय ओरियंटेशन कार्यशाला का आयोजन

सीएमएचओ डॉ. अनुज पिंगोलिया ने चिकित्सा अधिकारियों का कार्यशाला में जरूरी निर्देश दिये।

- 'रेबिज एक वायरल इंफेक्श्न जो नर्वस सिस्टम एवं दिमाग को प्रभावित करता है'

अजमेर, (कासं)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर डॉ. अनुज पिंगोलिया की अध्यक्षता में नेशनल रेबिज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जिले में कार्यरत समस्त चिकित्सा अधिकारियों का एक दिवसीय ओरियंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरूआत सीएमएचओ डॉ. अनुज पिंगोलिया द्वारा की गई जिसमे उन्होने समस्त चिकित्सा अधिकारियो को निर्देश दिया कि अपने संस्थान मे आने वाले समस्त एनिमल बाईट (डॉग, मंकी, केट व अन्य लारभक्षी आदि) के रोगियों की जानकारी रेबीज कंट्रोल कार्यक्रम मे मिले रजिस्टर के अनुसार संधाारित की जावे व उनका उपचार किया जाए साथ ही निर्देश दिया कि कोई भी एनिमल बाईट के रोगी का टीकाकरण बीच में अधूरा नहीं छूटे ताकि भविष्य मे उसे रेबिज होने का खतरा न हो। उन्होने बताया कि डब्लयूएचओ के मुताबिक रेबिज एक वायरल इंफेक्श्न है। जिसका नर्वस सिस्टम एवं दिमाग को प्रभावित करता है।

रेबिज का वायरस शरीर में 20 से 60 दिन रह सकता है और उपचार नहीं मिलने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। विश्व में लगभग 55,000 व्यक्ति कुत्ते के काटने से मरते है जिसमे भारत में 36 प्रतिशत मौते कुत्ते के काटने से होती है। नेशनल रेबिज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जिले मे कार्यरत समस्त चिकित्सा अधिकारियो को पीपीटी के माध्यम से डॉ. आर एस किराडिया, नोडल अधिकारी, एनआरसीपी व डॉ. राकेश कुमावत बीसीएमओ भिनाय द्वारा उपस्थित चिकित्सा अधिकारियो को रेबिज रोग व एनिमल बाईट के बारे मे उपचार निदान रखरखाव टीकाकरण की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होने नेषनल रेबिज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत प्राप्त हुये फॉर्मेट किस प्रकार भरे जाने है एवं इसकी रिपोर्टिंग भारत सरकार को भिजवाई जानी है के बारे मे भी बताया।

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला-अजमेर (राज.

क्रमांक/नपकि/कृ.भूमि./2022/390 दिनांक : 6.8.2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज पर स्थित आदित्य मिल्स कॉलोनी के आवासीय (भूखण्ड संख्या-सी.सी.-10 क्षेत्र.-551.11 वर्ग. में से भू.सं.-सी.सी.-10 का पार्ट क्षेत्र.-275.55 वर्ग.) पर श्रीमती मोहिनी हासानी पत्नि श्री मुरलीधर हासानी ने आवेदन प्रस्तुत कर विखण्डन चाहा गया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है :

पूर्व में : रास्ता 30 फीट चौडा
पश्चिम में : भूखण्ड संख्या सी.सी.-8
उत्तर में : भूखण्ड संख्या सी.सी.-10 में से विखण्डित भूखण्ड
दक्षिण में : 30 फीट चौडा रास्ता

अतः उक्त विखण्डन प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि भूमि ग्राम चाचियावास स्थित खसरा संख्या 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1896/2350, 1896/2351, 1898, 1898/2352, 1898/2353, 1898 /2354, 1899, 1899/2355 नया खाता संख्या 372 एवं 391 कुल रकबा 3.36 हैक्टयर मेरे मालिकाना हक की है। मेरे संज्ञान में आया है कि उक्त जमीन को कुछ भू-माफियाओ के द्वारा गैर-कानूनी रूप से जाली दस्तावेजो/मुख्तारनामा का प्रयोग करते हुये जमीन की खरीद फरोक्त की गई, इस गैर कानूनी जमीन बेचान में मेरे द्वारा कोई कृत्य नही किया गया है। यह कि वर्तमान में उक्त भूमि को आयकर विभाग की बेनामी सम्पति संव्यवहार निषेध शाखा द्वारा दिनाक 13/11/2019 से धारा 26 (3) के अधीन अटैचमेन्ट किया हुआ है एंव आज दिनांक में यह मामला आयकर विभाग की अपील शाखा में लम्बित है। यदपि उक्त कारण से भी वर्तमान जमीन की खरीदान व बेचान पूर्णतः प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी है, तथापि मेरे द्वारा इस गैर कानूनी भूमि बेचान/ खरीदान के विरूद्ध थाना गेगल में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है, जिसकी कार्यवाही एंव अनुसंधान वर्तमान मे थानाधिकारी महोदय के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में अन्य भू-मफिया भी गैर कानूनी बेचान खरीदान हेतु प्रयासरत है। अतः सूचित रहे कि किये गये गैर कानूनी खरीदान बेचान की सभी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। -राधे पुत्र टुकिया जाटव (मालिक-उक्त भूमि)

कार्यालय ग्राम पंचायत उंखलियॉ पंचायत समिति हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक-SP-1 दिनांक - 04/08/2022

निविदा सूचना 2022-23

ग्राम पंचायत उखंलियॉ की ओर से विभिन्न कार्यों हेतु ग्राम पंचायत की SFC/FFC के उपयुक्त श्रेणी में विभिन्न राजकीय एवं मान्यता प्राप्त पंजिकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित विकास कार्यो की गोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धी सभी शर्ते कार्यालय समय में ग्राम पंचायत उखंलियॉ में देखी जा सकती है।

UBN NO. ZBL2223WSOB00911-914
NIB NO. ZBL2223AO382

सरपंच
ग्राम पंचायत उंखलियॉ
पंचायत समिति हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत उंखलियॉ
पंचायत समिति हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

कार्यालय ग्राम पंचायत कंवलियास पंचायत समिति हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक- ग्रा.पं./निविदा/22-23/42 दिनांक-03-08-2022

निविदा सूचना 2022-23

ग्राम पंचायत कंवलियास की ओर से विभिन्न कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में विभिन्न राजकीय एवं मान्यता प्राप्त पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 12.08.2022 को विभिन्न विकास कार्यो की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी सभी शर्ते कार्यालय समय में ग्राम पंचायत कंवलियास एवं प्रपत्र व अन्य शर्ते वेबपोर्ट **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

UBN NO. ZBL2223WSOB00967-00978
NIB NO. ZBL2223AO388

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कंवलियास
पंचायत समिति हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

अधोहस्ताक्षरकर्ता **देवेन्द्र सिंह चुण्डावत** ने **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **मैसर्स शिव शक्ति स्टोन्स एण्ड आर्टिकल्स, प्रोपराईटर श्री खुमाण सिंह जैन पुत्र श्री देवकरण जैन** पर मांग सूचना **दिनांक** 14.02.2022 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 31.01.2022 को बकाया राशि** रू. 14,67,546.16 (**रूपये चौदह लाख सड़सठ हजार पांच सौ छयालिस एवं पैसे सोलह मात्र**) प्लस दिनांक 01.02.2022 से **ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 02, माह अगस्त, वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 01.08.2022 को बकाया राशि रू.14,16,085.16 (रूपये चौदह लाख सोलह हजार पचासी एवं पैसे सोलह मात्र)** प्लस दिनांक **02.08.2022 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, पुर रोड़ शाखा, भीलवाडा, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री खुमाण सिंह जैन पुत्र श्री देव करण जैन के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति (गोदाम) आराजी नं. 1478/1463 जो गांव सरेरी, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2429 वर्ग मीटर है। **सीमाएं**-उत्तर: श्री जानकी लाल बलाई की कृषि भूमि, दक्षिण: श्री अर्जुन सिंह राजपूत की कृषि भूमि, पूर्वः रोड़, पश्चिम: श्री सुखदेव बलाई की कृषि भूमि

हस्ता.
(देवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक

स्थानः भीलवाड़ा
दिनांक: 02.08.2022

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

अधोहस्ताक्षरकर्ता **देवेन्द्र सिंह चुण्डावत** ने **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **मैसर्स जे वी माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर्स एवं जमानतदार श्री परेश प्रेमजी भाई कांजिया पुत्र श्री प्रेमजी भाई मावजी भाई कांजिया, श्रीकान्ति लाल शिवालाल जकासानिया पुत्र श्री शिवालाल ओगड भाई जकासानिया एवं श्री जयेश कुमार धनजी भाई पटेल पुत्र श्री धनजी भाई केशव लाल पटेल** पर मांग सूचना **दिनांक** 09.03.2022 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 28.02.2022 को बकाया राशि** रू. 29,66,859.07 (**रूपये उनतीस लाख छियासठ हजार आठ सौ उनसठ एवं पैसे सात मात्र**) प्लस दिनांक 01.03.2022 से **ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुन र्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 02, माह अगस्त, वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 01.08.2022 को बकाया राशि रू. 30,01,589.87 (रूपये तीस लाख एक हजार पांच सौ नवासी एवं पैसे सतासी मात्र)** प्लस दिनांक **02.08.2022 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, पुर रोड़ शाखा, भीलवाड़ा, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि मैसर्स जे वी माईन्स एण्ड मिनरल्स के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक भूमि एवं भवन जो जी-1, प्लॉट नं. 21, 22, 27, 28, रघुनाथपुरा, इंडस्ट्रीयल एरिया, तहसील-आसिंद, जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान पर स्थित है। **सीमाएं**-उत्तर: रोड़, दक्षिण: रोड़, पूर्वः प्लॉट नं. जी-1-20, 29, पश्चिम: जी-1-23, 26

हस्ता.
(देवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक

स्थानः भीलवाड़ा
दिनांक: 02.08.2022

नाम परिवर्तन

मैं मुनीष कुमार पुत्र दानाराम निवासी आकोदा तहसील डीडवाना सर्विस न 15620815M शपथ पूर्वक बयान करता हूं मेरी पत्नी का नाम GITA DEVI व जन्म तिथि 15.01.1989 गलत इंद्राज हो गये है जबकि प्रामाणिक दस्तावेजो में GEETA DEVI जन्म तिथि 05.01.1994 जो सही है दर्ज करवाना चाहता हूं।

प्रकटन की सूचना माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ के समक्ष शिवदत्त शर्मा और शर्मिला शर्मा के मामले में

801, श्री नाथ रेजीडेंसी वी.एस.पी. नगर,
महिला आश्रम कॉलेज के पास,
भीलवाड़ा—311001

ध्यान दें कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 19 (2) के तहत आईए नंबर 194/जेपीआर/2022 होने के नाते एक वार्ताकार आवेदन आईबीसी, 2016 की धारा 60 (5) के साथ पठित है, आपके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ के समक्ष "शकुंतला जोशी और अन्य" बनाम हाइपर टेक्नो बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड "[सीपी (आईबी) नंबर 146/7/जेपीआर/2020]" के मामले में दायर किया गया है। आवेदन 26.07.2022 को सुनवाई के लिए आया था जिसमें आप उपस्थित नहीं हुए थे।

इसलिए, यह नोटिस आपको दिनांक 02.09.2022 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ के समक्ष अपनी ओर से स्वयं या अधिकृत वकील के माध्यम से **(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से)** उपस्थित होने के लिए जारी किया जा रहा है जिसमें विफल रहने पर आपकी अनुपस्थिति में उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

यह नोटिस माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ के दिनांक 26.07.2022 के आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी किया गया है।

हस्ता/—
ऋषभ चंद लोढा
समाधान प्रोफेशनल
हाइपर टेक्नो बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईआरपी के तहत)

दिनांक : 07.08.2022
स्थान : भीलवाड़ा

कार्यालय नगर पालिका, माण्डलगढ़ जिला—भीलवाड़ा

Ph. No. - 01489-230036 E-mail: npmandalgarh@gmail.com
क्रमांक—न.पा.मा./भूमि/2022—23/ दिनांक

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका माण्डलगढ के निम्नांकित व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 69—ए/स्टेट ग्राण्ट के तहत पट्टा दिलाने हेत निवेदन किया हैं। इस बाबत इनके मालिकाना हक सम्बन्धित अगर किसी को आपत्ति हो तो इस नोटिस के उजरदारी प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी आपत्ति मय रिकॉर्ड के प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद गुजरने मियाद कोई भी आपत्ति काबिले समायत नहीं होगी।

क्र.सं.	नाम आवेदक जिनके नाम पट्टा जारी किया गया है	आवेदन का प्रकार	भूखण्ड विवरण
1	श्री महावीर प्रसाद पिता मूलचंद सुथार निवासी वार्ड नम्बर 13, पुरानी आबादी, माण्डलगढ़	69-A	स्थान— वार्ड नम्बर 13, पुरानी आबादी माण्डलगढ़ क्षेत्रफल— 99.53 वर्गमीटर
2	श्री रमेश चंद कुम्हार पिता लादूलाल कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 04, कोतवाल का खेड़ा, माण्डलगढ़	69-A	स्थान— वार्ड नम्बर 04, कोतवाल का खेड़ा, माण्डलगढ़ क्षेत्रफल— 170.07 वर्गमीटर
3	श्रीमती सीता देवी पत्नि सत्यनारायण तेली निवासी वार्ड नम्बर 14, किला रोड़ पुरानी आबादी माण्डलगढ़	69-A	स्थान— वार्ड नम्बर 14, किला रोड़ पुरानी आबादी माण्डलगढ़ क्षेत्रफल— 66.26 वर्गमीटर
4	श्री जाकिर मोहम्मद पिता पीर मोहम्मद निवासी वार्ड नम्बर 19, नई आबादी, माण्डलगढ़	69-A	स्थान—वार्ड नम्बर 19, नई आबादी, माण्डलगढ़ क्षेत्रफल— 227.69 वर्गमीटर
5	श्री गोविन्द सोनी पिता भोलीराम सोनी निवासी वार्ड नम्बर 10, पुरानी आबादी, माण्डलगढ़	69-A	स्थान—वार्ड नम्बर 10, पुरानी आबादी, माण्डलगढ़ क्षेत्रफल— 128.32 वर्गमीटर
6	श्री जाहिद मोहम्मद पठान पिता पीर मोहम्मद पठान निवासी वार्ड नम्बर 16 स्टेच्यू सर्किल माण्डलगढ़	69-A	स्थान— वार्ड नम्बर 16 स्टेच्यू सर्किल माण्डलगढ़ क्षेत्रफल— 278.81 वर्गमीटर
7	श्री सोहनलाल पिता गजानन्द शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 01 नई आबादी माण्डलगढ़	69-A	स्थान— वार्ड नम्बर 01 नई आबादी माण्डलगढ़ क्षेत्रफल— 303.90 वर्गमीटर
8	श्री इनायत हुसैन पिता फजूल रहमान पिंजारा निवासी वार्ड नम्बर 02 नई आबादी माण्डलगढ़	69-A	स्थान— वार्ड नम्बर 02 नई आबादी माण्डलगढ़ क्षेत्रफल— 130.11 वर्गमीटर
9	श्री अनीस मोहम्मद पिता फजूल रहमान पिंजारा निवासी वार्ड नम्बर 02 नई आबादी माण्डलगढ़	69-A	स्थान— वार्ड नम्बर 02 नई आबादी माण्डलगढ़ क्षेत्रफल— 130.11 वर्गमीटर
10	श्री बनवारी लाल पिता देवकिशन स्वर्णकार निवासी वार्ड नम्बर 20 नई आबादी माण्डलगढ़	69-A	स्थान— वार्ड नम्बर 20 नई आबादी माण्डलगढ़ क्षेत्रफल— 260.22 वर्गमीटर

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका माण्डलगढ़